



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2208]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 27, 2014/कार्तिक 5, 1936

No. 2208]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 2014/KARTIKA 5, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2014

का.आ. 2768(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 994 (अ), तारीख 04.05.2011 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के 249.000 कि.मी. से 348.800 कि.मी. (सोलापुर—महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) टोल आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण III के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के 249.000 कि.मी. (वास्तविक डिजाइन चैनेज 252.119 कि.मी.) (सीए के अनुसार डिजाइन चैनेज 249.000) से 348.800 कि.मी. (वास्तविक डिजाइन चैनेज 352.179 कि.मी.) (सीए के अनुसार डिजाइन चैनेज 349.060 कि.मी.) (डिजाइन लम्बाई 100.06 कि.मी.) तक सोलापुर—महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के खण्ड का चार लेन में विकास करने और उक्त खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु 12.12.2011 को प्रस्तुत की गई बोली हेतु मैसर्स सोलापुर टोलवेट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय मिरानिया गार्डन-2, प्लॉट संख्या 32, 11/1सी, टोपसिआ रोड, (ईस्ट) कोलकाता-700046, पश्चिम बंगाल में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ 29.02.2012 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, के नियम 3 और बोली प्रस्तुत करने की तारीख तक इसमें किए गए संशोधन के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए उक्त करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क खण्ड की निवल लम्बाई

87.500 कि.मी. के लिए चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) और नीचे सारणी 1 के कालम (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर 12.500 कि.मी. की कुल लम्बाई वाले बाइपासों हेतु आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा, और उक्त रियायतग्राही को उक्त नियमों तथा पूर्वोक्त करार के प्रावधानों के अधधीन और उनके अनुसार प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से तथा प्राधिकरण से पूर्णतः प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने पर या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
284.119 कि.मी. (वास्तविक डिजाइन चैनेज) (सी.ए. के अनुसार डिजाइन चैनेज 281.000 कि.मी.) (विद्यमान चैनेज 280.300 कि.मी.) (उसमानाबाद जिले में फूलवाडी गांव के पास)	45.00 (नलदुर्ग बाइपास की लम्बाई को छोड़कर)	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
346.719 कि.मी. (वास्तविक डिजाइन चैनेज) (सी.ए. के अनुसार डिजाइन चैनेज 343.600 कि.मी.) (विद्यमान चैनेज 343.850 कि.मी.) (उसमानाबाद जिले में तालमोड, ताल उमरगा गांव के पास)	42.500 (उमरगा बाइपास की लम्बाई को छोड़कर)	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

प्राधिकरण द्वारा टोल प्लाजाओं के चैनजों की पुष्टि कर दी गयी है कि वे रियायत करार में उल्लिखित अवस्थानों के अनुसार है।

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए, उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा।

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	चैनेज सहित बाइपास का नाम	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	दर जिसपर शुल्क संदेय है
284.119 कि.मी. (वास्तविक डिजाइन चैनेज) (सी.ए. के अनुसार डिजाइन चैनेज 281.000 कि.मी.) (विद्यमान चैनेज 280.300 कि.मी.) (उसमानाबाद जिले में फूलवाडी गांव के पास)	रा रा-9 के नलदुर्ग बाइपास के 290.919 कि.मी. पर शुरू होकर (वास्तविक डिजाइन चैनेज) (सी.ए. के अनुसार डिजाइन चैनेज 287.800 कि.मी.) (विद्यमान चैनेज 287.200 कि.मी.) और 297.419 कि.मी. पर मिलते हुए (वास्तविक डिजाइन चैनेज) (सी.ए. के अनुसार डिजाइन चैनेज 294.300 कि.मी.) (विद्यमान चैनेज 294.700 कि.मी.)	6.500	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
346.719 कि.मी. (वास्तविक डिजाइन चैनेज) (सी.ए. के अनुसार डिजाइन चैनेज 343.600 कि.मी.) (विद्यमान चैनेज 343.850 कि.मी.) (उसमानाबाद जिले में तालमोड, ताल उमरगा गांव के पास)	रा रा-9 के उमरगा बाइपास के 329.519 कि.मी. पर शुरू होकर (वास्तविक डिजाइन चैनेज) (सी.ए. के अनुसार डिजाइन चैनेज 326.400 कि.मी.) (विद्यमान चैनेज 327.000 कि.मी.) और 335.519 कि.मी. पर मिलते हुए (वास्तविक डिजाइन चैनेज) (सी.ए. के अनुसार डिजाइन चैनेज 332.400 कि.मी.) (विद्यमान चैनेज 332.160 कि.मी.)	6.000	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

बाइपासों की लम्बाई और चैनेजों की प्राधिकरण द्वारा पुष्टि कर दी गयी है।

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2014-15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रुपए (दो सौ पच्चीस

रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन अपने श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को यांत्रिक वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए ।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी 1 में यथा—उल्लिखित, आधार वर्ष 2007—08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना द्वारा राजमार्ग परियोजना की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और इसके पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और उसे प्रकाशित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पूर्ववर्ती संशोधन की तारीख से 6 (छह) महीने के अन्दर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा ।

[फा. सं. भाराप्रा/13013/755/सीओ/13-14/जीसी/सोलापुर-महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा खण्ड-बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2014

S.O. 2768(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 994 (E), dated 04.05.2011, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km 249.000 to Km 348.800 (Solapur – Maharashtra/Karnataka Border Section) of National Highway No. 9 in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement on 29.02.2012 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Solapur Tollways Private Limited having its registered office at Mirania Garden-2, Plot No. 32, 11/IC, Topsia Road (East), Kolkata – 700046, West Bengal (hereinafter referred to as the “Concessionaire”), for the bid submitted on 12.12.2011 for the development of Solapur – Maharashtra/Karnataka Border Section from Km 249.000 (actual design chainage Km 252.119) (design chainage as per CA Km 249.000) to Km 348.800 (actual design chainage Km 352.179) (design chainage as per CA Km 349.060) (design length 100.06 Km) on National Highway No. 9 (hereinafter referred to as the “said section”) to four laning and operation and maintenance of the said section under NHDP Phase-III on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Toll Basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 read along with its amendment till bid due date, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement between the Authority and the Concessionaire,

hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length 87.500 Km for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as “base rate”) and at one and one half times the base rate for bypasses having an aggregate length of 12.500 Km on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation (COD) declared by the Authority and on getting the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, subject to and in accordance with the said rules and the provisions of the aforesaid agreement;

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which Fee is payable
km 284.119 (actual design chainage) (design chainage as per CA km 281.000) (existing chainage km 280.300) (near Phulwadi village in Osmanabad district)	45.00 (excluding length of Naldurg Bypass)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
km 346.719 (actual design chainage)(design chainage as per CA km 343.600) (existing chainage km 343.850) (near Talmod, Tal.Umarga village in Osmanabad district)	42.500 (excluding length of Umerga Bypass)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

The chainages of the Toll Plazas have been confirmed by the Authority that they are as per the locations mentioned in the Concession Agreement.

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing more than Rs. 10 crores at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table-1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza (chainage)	Names of Bypass with Chainage	Length of Bypass (in km) for which additional fee is payable	Rate at which Fee is payable
km 284.119 (actual design chainage) (design chainage as per CA km 281.000) (existing chainage km 280.300) (near Phulwadi village in Osmanabad district)	Naldurg Bypass taking off at km. 290.919 (actual design chainage) (design chainage as per CA km 287.800) (existing chainage km 287.200) and joining at km. 297.419 (actual design chainage) (design chainage as per CA km 294.300) (existing chainage km 294.700) of NH-9	6.500	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
km 346.719 (actual design chainage)(design chainage as per CA km 343.600) (existing chainage km 343.850) (near Talmod, Tal.Umarga village in Osmanabad district)	Umerga Bypass taking off at km. 329.519 (actual design chainage) (design chainage as per CA km 326.400) (existing chainage km 327.000) and joining at km. 335.519 (actual design chainage) (design chainage as per CA km 332.400) (existing chainage km 332.160) of NH-9	6.000	150% of the base rates mentioned in Table-1 above

The length and chainages of the bypasses have been confirmed by the Authority.

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred Twenty Five only) for the year 2014-15 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely;

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

9. Based on the Base rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed portion of the length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised and published annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of Fee.

[NHAI/13013/755/CO/13-14/GC/Solapur- Maharashtra/Karnataka Border Section – BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.